/

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ 5461 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2014, भोपाल, दिनांक 30/07/ 2014

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति जिला कार्यक्रम समन्वयक
  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
  जिला -समस्त (म.प्र.)
- कार्यपालन यंत्री ग्रा.या.सेवा संभाग
  जिला-समस्त (म.प्र.)

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मेट को अर्द्धकुशल श्रमिकों हेतु श्रमायुक्त द्वारा 01 अप्रैल 2014 से लागू दर से भुगतान करने बावत।

संदर्भः- विभाग का पत्र क्र. 5511/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 दि.26.06.2013

--00--

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के दिशा-निर्देश 2013 चतुर्थ संस्करण बिन्दु क्र. 4.1.1 में योजनांतर्गत संपादित कराये जाने वाले कार्यों में कार्य स्थल पर्यवेक्षक के रूप में मेट को लगाए जाने एवं पारिश्रमिक की गणना अर्द्ध कुशल श्रमिक के रूप में किए जाने का लेख है। विभाग द्वारा मनरेगा के कार्यों में मेट व्यवस्था हेतु संदर्भित पत्र से जारी नवीन निर्देशों की कण्डिका **5.** "भुगतान व्यवस्था" में तत्समय अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिवस मजदूरी दर रु. 195/- निर्धारित की गई थी। श्रमायुक्त कार्यालय, म.प्र. शासन इंदौर के पत्र क्र.1/9/अन्वे./पांच/2009/10882-11181, इंदौर दिनांक 03.04.2014 के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2014 से प्रभावशील दरों में अर्द्ध कुशल श्रमिकों के लिए रु. 230/- प्रतिदिवस दर निर्धारित की गई है।

अतएव श्रमिक समूह के प्रत्येक जॉबकार्डधारी परिवार को 100 दिवस एवं वन अधिकार अधिनियम के तहत हक प्रमाण-पत्र धारक जॉबकार्डधारी परिवार को 150 दिवस का रोजगार उनकी मॉग अनुसार दिलाये जाने हेतु श्रमिक समूह के मुखिया "मेट" को कार्यस्थल पर्यवेक्षक के रूप में लगाया जावे एवं श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा निर्धारित दर से विभाग के निर्देशों की कंडिका 5 (IV) के अनुसार समानुपात में भुगतान कराया जावे।

30/7/14

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./ 5462 / MGNREGS -MP/NR-3/ SE-I/2014 भोपाल, दिनांक 30/07/2014

प्रतिलिपि,

1. सचिव, म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. आयुक्त, म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
4. संभागायुक्त, समस्त मध्यप्रदेश।
5. प्रमुख अभियंता, ग्रा.या.सेवा, विकास आयुक्त कार्या. विन्ध्याचल भवन भोपाल।
6. मुख्य अभियंता, म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल।
7. संयुक्त आयुक्त, वित्त/लेखा/मीडिया शाखा/मॅनिटरिंग शाखा, म.प्र.रा.रो.गा.परि. भोपाल।
8. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मंडल समस्त मध्यप्रदेश।
9. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त मध्यप्रदेश।
10. कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त मध्यप्रदेश।

प्रति,

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग